पेटेंट नहीं, जानकारी साझा करो

पिछले 30 वर्षों में यूएस में पेटेंट प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण असर यह हुआ है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान के निष्कर्ष गोपनीय रखते हैं ताकि भविष्य में उसके लिए पेटेंट हासिल कर सकें। यह बात खास तौर से जीव विज्ञान में देखी जा सकती है। इस प्रवृत्ति के मूल में 1980 में पारित बे-डोले कानून है। इस कानून में यह व्यवस्था है कि सार्वजनिक पैसे से किए गए शोध से निर्मित बौद्धिक संपत्ति को किसी विश्वविद्यालय अथवा निजी कंपनी को बिना शर्त सौंपा जा सकता है। इसी कानून के चलते जैव-टेक्नॉलॉजी उद्योग अस्तित्व में आया।

मगर हाल ही में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तें वापिस लागू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मानव जीन को पेटेंट नहीं किया जा सकता। अब तक हालत यह थी कि यूएस का ट्रेडमार्क व पेटेंट कार्यालय धड़ल्ले से एक-एक जीन पर पेटेंट स्वीकृत कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जैव टेक्नॉलॉजी कंपनी मिरिएड जिनेटिक्स द्वारा स्तन कैंसर के जीन पर कराए गए पेटेंट को रद्द कर दिया है। मगर कोर्ट ने संश्लेषित डीएनए के पेटेंट की अनुमति बरकरार रखी है। मिरिएड जिनेटिक्स ने स्तन कैंसर से सम्बंधित दो जीन्स बीआरसीए-1 और बीआरसीए-2 पर पेटेंट हासिल किया था। इन दोनों का उपयोग स्तन कैंसर की आशंका की जांच के संदर्भ में किया जाता है। पेटेंट होने के कारण इस तकनीक का उपयोग काफी महंगा था।

वैसे भी कई विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि जीन का पेटेंट विसंगतिपूर्ण है। यह लगभग वैसा ही है जैसे आप प्रकृति में पाए जाने वाले किसी तत्त्व पर पेटेंट का दावा करें। जीन भी तो प्रकृति में पाए जाते हैं। कोर्ट का यह फैसला एक और मायने में भी महत्त्वपूर्ण है। पेटेंट सुरक्षा के चक्कर में कई बार ऐसी महत्त्वपूर्ण जानकारी दबी रह जाती है जो आगे के अनुसंधान व नवाचार कार्य के लिए ज़रूरी है। इस फैसले से जानकारी की खुली साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ***(स्रोत फीचर्स)***